उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या–03के/छः–सानिप्र–19–15(37)/2018
लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत "उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान निम्नांकित परिस्थितियों में घटित घटना में अपंग/दिव्यांग होने पर निम्नवत अनुग्रह आर्थिक सहायता स्वीकृत/वितरित किये जाने का सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है :–

क्र0सं0	परिस्थितियाँ	दिव्यांगता प्रतिशत में	स्वीकृत की जाने वाली अनुग्रह धनराशि
1	कर्तव्यपालन के समय प्रदेश के अन्दर अथवा बाहर आंतकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा/मुठभेड़ के फलस्वरूप पुलिस कर्मियों के अपंग/दिव्यांग होने पर एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के राहत एवं बचाव कार्य के दौरान अपंग/दिव्यांग होने पर	80% से 100% तक	₹-20,00,000.00
		70% से 79% तक	₹-15,00,000.00
		50% से 69% तक	₹-10,00,000.00

2– उपरोक्तानुसार स्वीकृत/वितरित की जाने वाली अनुग्रह आर्थिक सहायता निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

(1) घटित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिर्पोट अंकित हो।

(2) अपंग/दिव्यांग होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी से निर्गत हो, जिसमें स्पष्ट रूप से विकलांगता प्रतिशत अंकित किया गया हो।

(3) उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के उपरोक्तानुसार अपंग/दिव्यांग होने की स्थिति में यदि सेवानिवृत्त किया जाता है, तो प्रश्नगत अनुग्रह आर्थिक सहायता सेवानिवृत्तिक लाभ के अतिरिक्त होगी।

3– उक्त निर्धारित की गई सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा उपर निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन के गृह विभाग में उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4– पुलिस कर्मियों के अपंग/दिव्यांग होने पर उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज तथा अग्निशमन सेवा के कर्मियों के अपंग/दिव्यांग होने पर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

5– उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

6– शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के कम में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा सम्बन्धित जनपद को तत्काल बजट आवंटन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या–03के(1)/छः–सानिप्र–2019 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित की इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति के कम में तत्काल बजट आवंटन सुनिश्चित कराए।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज।
5. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
13. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
14. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
15. गृह (पुलिस) अनुभाग–1, 2, 6, 7, 8 तथा 10
16. गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग–1 व 2
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव